राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

कमांक प.1(9)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011 जयपुर, दिनांक : 21.12.2011

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

URGENT/TODAY

विषयः- **राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को सामूहिक कार्य के बहिष्कार करने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने बाबत।**

सेवारत चिकित्सकों द्वारा सामूहिक कार्य बहिष्कार के मध्यनजर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्देश प्रदान किये जाते है कि आप अपने स्तर पर जिले में सेवानिवृत्त चिकित्सक, एम. बी. बी. एस. डिग्रीधारी चिकित्सक, पी. जी. डिग्रीधारी चिकित्सक जो राजकीय सेवा में नहीं है, को हडताल के दौरान दैनिक मानदेय पर रखकर आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावें। इस हेतु निम्नानुसार मानदेय निर्धारित किया जाता है:-

- एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्स को 2,000/- रूपये प्रतिदिन
- विशेषज्ञ चिकित्सक (एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा) को 3,000/- रू. प्रतिदिन
- रात्रिकालीन ड्यूटी पर 500 रूपये अतिरिक्त

उक्त चिकित्सक प्रातः 9 बजे सम्बन्धित अस्पताल में पी.एम.ओ./इन्चार्ज को अपने डिग्री व रजिस्ट्रेशन की प्रति के साथ रिपोर्ट कर सीधे ही ड्यूटी ज्वाइन कर सकेंगें। इन्हें भुगतान प्रतिदिन के आधार पर आरएमआरएस के माध्यम से उसी दिन कर दिया जाये, जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। आप से अपेक्षा है कि ऐसे समस्त डॉक्टर्स को चिन्हित कर उन्हें राजकीय चिकित्सालयों में सेवा देने हेतु प्रेरित करें जिससे कि आम-जन को आवश्यक चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा सकें।

22.12.11

(बी. एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
3. उप सचिव एवं निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
8. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड करावें।
9. निजी /रक्षित पत्रावली

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव